(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: No interruptions please. Shri Digamber Singh.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Order, order.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Nothing should be recorded without my permission.

This is not the way. Please do not interrupt. Let me go to matters under Rule 377.

(*Interruptions*)**

12.41 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) NEED FOR A GALLERY FOR PEDESTRIA ON THE NEWLY CONSTRUCTED RAILWAY ERIDGE OVER YAMUNA RIVER IN MATHURA.

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में यमुना के रेलवे के पुराने पुल पर जनता के लिये पैदल चलने की गैलरी बनी हुई थी । नये पुल बनते समय गैलरी नहीं रही । तब से लोग पुल से ही निकलते हैं । इसके कारण अनेक व्यक्तियों की रेल से कट कर मृत्यु हो चुकी है । 28 मई, 80 को भी चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और भी अनेकों व्यक्ति जमना के अन्दर कह जाते हैं और मृत्यु हो जाती है।

रेलवे मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से गैलरी बनाने की आर्थिक सहायता मांगी थी । उत्तर प्रदेश सरकार ने वह देना स्वीकार कर लिया है । फिर भी वह गैलरी नहीं बन रही । इस प्रकार अनेक व्यक्तियों की बलि गैलरी के नाम पर चढ़ चुकी है जिनमें से बहुतों का रेलवे को पता नहीं लगता ।

माननीय रेल मंत्री दयावान हैं और धार्मिक भी । क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि गैलरी बनने के लिये कितने व्यक्तियों की और बलि चढ़ने की आवश्यकता है ।

(ii) NEED FOR PROVING DRING WATER IN CERTAIN DISTRICT OF BIHAR.

श्रीमती कृष्णा साही: (बेगूसराय): अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के मुंगेर, संथाल परगना, रांची, सिंहभूमि एवं पलामू जिले के अधिकांश भाग में पीने के पानी का व्याप्त अभाव से भयंकर संकट उत्पन्न हो गया है। स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि सरकार द्वारा यदि समय पर कारगर कदम नहीं उठाये गये तो पानी के अभाव में बहुत से लोगों की मृत्यु हो जायेगी । अतः सरकार इस सम्बन्ध में अविलम्ब कारवाई करे।

(iii) REPORTED LOCK OUT IN HINDUSTAN PILKINGTON GLASS CO., ASANSOL AND CAREW AND CO., ASAWAL.

SHRI ANANDA GOPAL MUKHOPADHYAY (Asansol): Under Rule 377, I am making a statement.

Lock out has been declared in Hindustan Pilkington Glass Co., at Asansol West Bengal and Carew and Co. at Asawal by the Managements. 2,000 workers are out of employment. The lock out has been challenged both by INTUC and CITU jointly as illegal. Labour Department must persuade the management to withdraw the lockout or declare the lockout as illegal and force the management to open the factory. The arrears of wages of the workers for the month of May, 1980 must be paid immediately.

(iv) NEED FOR IMMEDIATE MEASUERS TO CHECK EXPLOITATION OF CHI DREN EMPLOYED IN VARIOUS INDUSTRIES.

श्री मूल चन्द डागा (पाली): अध्यक्ष महोदय, आज देश में लाखों और करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे जिन पर देश का भविष्य निर्भर है होटलों, फैक्टिरियों और घरों तथा कारखानों में काम करते दिखाई देते हैं और उनका बुरी तरह से शोषण होता है । कई ऐसे उद्योग हैं जहां छोटी उम्र में, सात-सात, आठ-आठ वर्ष की आयु में काम पर उनको लगा लिया जाता है । गलीचे बनाने के कारखानों में उनको लगाया जाता है उनकी मिनिमम वैजिज एक्ट के अन्तर्गत निश्चित वेतन से भी कम पैसा दिया जाता

**Not recorder.